



कार्यालय Office of the  
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager,  
बिलासपुर - (छ ग) Bilaspur (C.G.)

दर परिपत्र स. 83(माल)/2017

Rates Circular No.83(G)/2017

सं No.C/SECR/BSP/PCC/Policy /Pt.I/ 2150

दिनांक / Date: 20/04/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।  
मंडल रेल प्रबंधक / DRMs / द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, / Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, / Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, / Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर / ARMs भिलाई, कोरबा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी / CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी / FA&CAO, उप मु. लेखाधिकारी (टी) / Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी (टी.ए.)  
द.पू.म.रे. बिलासपुर / Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक / SDGM, मुख्य मालमाड़ा यातायात प्रबंधक, / CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता / CME, मुख्य अभियंता / CE, मुख्य विद्युत अभियंता / CEE, द.पू.म.रे. बिलासपुर। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, / Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर।  
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद  
कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट / EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।  
कॉनकोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता  
सीएओ(एफओआईएस), कीस चाण्क्यपुरी नई दिल्ली,,  
महाप्रबंधक, कीस चाण्क्यपुरी नई दिल्ली,, ओसीसी, कीस चाण्क्यपुरी नई दिल्ली,,  
कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

**विषय / Sub:- Permissible Carrying Capacity of "BFNS 22.9" Wagons (maximum Axle Load 22.9 T).**

- संदर्भ / Ref: (i) Railway Board's Rates Master Circular / PCC / 2015 / 0 dated 19.10.2015 and Corrigenda thereto.  
(ii) Railway Board's Rates Master Circular dated 14.07.16 on Block Rakes / Mini Rake / Two Point Combinations etc. / 2015 / 0 and Corrigenda thereto.  
(iii) Board's letter No. 2017 / CEDO / SR / 06 dt. 18.4.17.  
(iv) This office Rates Circular No.179(G) / 15, 187(G) / 15, 35(G) / 16, 55(G) / 16, 75(G) / 16, 87(G) / 16, 114(G) / 16, 155(G) / 16 & 51(G) / 17.  
(v) This office Rates Circular No.130(G) / 16, 132(G) / 16, 145(G) / 16, 146(G) / 16, 31(G) / 17, 35(G) / 17 & 50(G) / 17.

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या TCR/1394/2017/02 दिनांक 19/04/2017 (Corrigendum No.9 to Rates Master Circular/PCC/2015/0) आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें।

Encl: One(01)

*(Handwritten Signature)*

(एस. एम. गोन्डाने)

उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / पण्य  
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबंधक

dt 19.4.17

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)  
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)  
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

No.TCR/1394/2017/02

New Delhi, dated:19.04.2017

The General Manager,  
All Indian Railways.

Sub: Permissible Carrying Capacity of "BFNS 22.9" Wagons (Maximum Axle Load 22.9 T).

- Ref: (i) Board's Rates Master Circular/PCC/2015/0 dated 19.10.2015 and Corrigenda thereto. (P/301)  
(ii) Board's Rates Master Circular dated 14.07.2016 on Block Rakes/Mini Rake/Two Point Combinations etc./2015/0 and Corrigenda thereto.  
(iii) Board's letter No. 2017/CEDO/SR/06 dated 18.04.2017.  
\*\*\*\*\*

1. Sanction of the competent authority is hereby accorded as per the following:  
1.1 For the purpose of charging, Permissible Carrying Capacity (PCC) and Loading Tolerance for "BFNS 22.9" wagons (Maximum Axle Load 22.9 T) will be as under:

Routes →	Excepted CC+6	Universalized CC+6	CC+8
PCC	60 T	62 T	64 T
Loading Tolerance	1 T	1 T	1 T

- 1.2 Further, the Standard Rake Size and minimum number of wagons required to be loaded for availing trainload benefit for "BFNS 22.9" wagons (Maximum Axle Load 22.9 T) will be 42 and 41 wagons respectively.  
2. These instructions will come into force with immediate effect and will remain in operation till further advice.  
3. This issues in consultation with Traffic Transportation, Mechanical Engineering and Civil Engineering Directorates and with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

  
(Sanjay Kumar Jha)  
Deputy Director, Traffic Commercial (Rates)  
Railway Board.

No.TCR/1394/2017/02

New Delhi, dated:19.04.2017

Copy for information and necessary action to:

FA & CAOs, All Indian Railways.  
Dy.C&AG (Rlys.), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi.

  
for Financial Commissioner (Railways)

≤ ECR'S R.C.No. 83(u)/17-(9/1)